

2.2

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0
11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

Dipwanti
सहायक अधिकारी
प्रान्तीय उद्योग विभाग
बागेश्वर

Dipwanti
अधिकारी अधिकारी
प्रान्तीय उद्योग विभाग
बागेश्वर

५.१.२

2999

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र- गंगोलीहाट एवं बागेश्वर के अन्तर्गत विभिन्न 02 कार्यो हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० पिथौरागढ़ / अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 11.00 किमी०+०१ सेतु तथा लागत ₹ 189.56 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 189.56 लाख (₹० एक करोड़ नवासी लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 02 कार्यो हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निर्मांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समर्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-१७६४ / ।।।(२) / १०-१७(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समर्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समर्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-३० के अन्तर्गत संगत योजना में प्राविधानित बजट से निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-30 लेखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-05 नया निर्माण कार्य-24 बहुत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 807/XXVII/(2)/2015 दिनांक 30 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीम

(एस०एस० ट्रैलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या:-२०६२(1)/ ॥।(2)/ 16-65(प्रा०आ०)/ 2016 टी०सी० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोर्टस बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा / पिथौरागढ़।
4. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

संख्या- 302/111(2)/16-65(प्रांगण) / 2016 टी०सी० दिनांक ३ अक्टूबर, 2016 का संलग्नक।

क्र. सं	कार्य का नाम	(धनराशि लाख ₹ में)		
		लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	एस०सी०एस०पी० योजना में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी० 11 (रवाईखाल) से बुढगाड़-थकलाड़-विल्लेख मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	6.00+ 01 सेतु	130.56	0.10
2	एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत धरमघर से वासुकीनाग मंदिर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5.00	59.00	0.10
	कुल	11.00 + 01 Bridge	189.56	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(ए०ए०स० पांगती)
उप सचिव